संख्या-754/सत्तर-6-2014-94/2006 टी.सी.

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 99 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 26.05.2014

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उ.प्र., इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2014

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर इरम डिग्री कॉलेज, मेलारायगंज, बाराबंकी को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्था/महाविद्यालय द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	इरम डिग्री कॉलेज, मेलारायगंज, बाराबंकी	F.No. 268 To 297 OF 2011/54674 Dated 12 August, 2011 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 2 अगस्त, 2011	मुस्लिम

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु इरम डिग्री कॉलेज, मेलारायगंज, बाराबंकी को अल्पसंख्यक संस्था 'ट्रीट' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-754(1)/सत्तर-6-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001।
2- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन, लखनऊ
3- कुलसचिव, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
5- सचिव/प्रबन्धक, इरम डिग्री कॉलेज, मेलारायगंज, बाराबंकी।
6- उच्च शिक्षा अनुभाग-3
7- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

26/05/14